प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,**
   जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,**
   उ0प्र0।

पत्र सं0: 150 / एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / डैप–एच0आर0 / स्था0 / 2024–25 / 4568 दिनांक 15.10.2024

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत पारस्परिक पुर्ननियुक्ति नीति लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु पारस्परिक पुर्ननियुक्ति नीति वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लागू की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

<u>पात्र</u> :–

1. केवल संविदाकर्मी ही पारस्परिक पुर्ननियुक्ति हेतु पात्र होगें।

<u>अपात्र</u> :–

1. बिडिंग के माध्यम से कार्यरत चिकित्सक विशेषज्ञ पारस्परिक पुर्ननियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगें।
2. आउटसोर्स कर्मी एवं वेण्डर कर्मी पारस्परिक पुर्ननियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगें।
3. ऐसे संविदाकर्मी जिनका पूर्व में स्थानातंरण अथवा पारस्परिक पुर्ननियुक्ति हो चुका है, दण्डात्मक तैनाती की गयी है, न्यायालय में वाद लम्बित हों, वित्तीय अनियमितता एवं कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित हों, वह पारस्परिक पुर्ननियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगें। पारस्परिक पुर्ननियुक्ति हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के संबंध में संबंधित जनपद द्वारा उक्त तथ्यो के आधार पर की गयी पुष्टि एवं पारस्परिक पुर्ननियुक्ति हेतु संस्तुति किये जाने के उपरान्त ही पारस्परिक पुर्ननियुक्ति की प्रक्रिया की जायेगी।

<u>नोट</u> :–

1. यह पारस्परिक पुर्ननियुक्ति केवल वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लागू होगी।
2. पारस्परिक पुर्ननियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 05.11.2024 से 30.11.2024 तक स्वीकार किये जायेंगे।
3. पारस्परिक पुर्ननियुक्ति केवल समान कार्यक्रम के समान पद के कर्मियों पर ही मान्य होगा।
4. केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होगें, अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. संबंधित संविदाकर्मी का अन्तिम मानदेय (Protecion Pay) के साथ पारस्परिक पुर्ननियुक्ति की जायेगी, अर्थात् नवीन तैनाती स्थल पर पूर्व में निर्गत अन्तिम मानदेय के साथ तैनाती दी जायेगी।
6. वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य देयकों की गणना में पूर्व के सेवाकाल का संज्ञान लिया जायेगा।
7. नवीन तैनाती स्थल पर संबंधित कर्मी की एक्सपीरियन्स / लॉयल्टी बोनस की गणना में पूर्व के सेवाकाल का संज्ञान लिया जायेगा, अर्थात् यदि किसी संविदाकर्मी को 04 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण किये जाने के उपरान्त पारस्परिक पुर्ननियुक्ति की जाती है, तो ऐसे संविदाकर्मी को नवीन तैनाती स्थल पर 01 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण किये जाने के उपरान्त 05 वर्ष की एक्सपीरियन्स / लॉयल्टी बोनस (मानदेय का 05 प्रतिशत) देय होगा।
8. कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पारस्परिक पुर्ननियुक्ति की स्थिति में पूर्व में संपादित बॉण्ड में शेष अवधि / दिनों हेतु ही नवीन जनपद में बॉण्ड संपादित किया जायेगा।
9. पारस्परिक पुर्ननियुक्ति पत्र जारी होने के 15 कार्यदिवसों के अन्दर संबंधित संविदाकर्मी कार्यमुक्त होकर नये जनपद पर योगदान आख्या देना अनिवार्य होगा। **अन्यथा की दशा में पारस्परिक पुर्ननियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये संविदा**

Pinky

समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिये कर्मी स्वंय जिम्मेदार होगा। पुनः पारस्परिक पुर्ननियुक्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।

10. पारस्परिक पुर्ननियुक्ति किये गये संविदा कर्मियों में यदि एक कर्मी आकांक्षी जनपद का हो तो उक्त परिस्थिति में प्रतिस्थानीय कर्मी के द्वारा आकांक्षी जनपद में योगदान आख्या देने के उपरान्त ही आंकाक्षी जनपद में कार्यरत कर्मी को कार्यमुक्त किया जायेगा, जिस हेतु उक्त कर्मी को 15 कार्यदिवसों के अतिरिक्त 05 कार्यदिवस दिये जायेंगे इस प्रकार योगदान आख्या दिये जाने हेतु कुल 20 कार्यदिवस होगें।
11. समस्त संविदा कर्मियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि वे अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अनुचित दबाव बनाने के लिये राज्य कार्यालय अथवा किसी भी अन्य कार्यालय से सम्पर्क न करें। अन्यथा की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये कर्मी स्वंय जिम्मेदार होगा।
12. उक्त पारस्परिक पुर्ननियुक्ति ऑनलाइन आवेदन के आधार पारदर्शी तरीके से किया जायेगा। कर्मियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी दलाल आदि के सम्पर्क में न आयें न ही किसी प्रकार के प्रलोभन में आये। संज्ञान में आने पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में संविदाकर्मी की सेवाएं बिना नोटिस दिये समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिये कर्मी स्वंय जिम्मेदार होगें।
13. पारस्परिक पुर्ननियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं है।
14. पारस्परिक पुर्ननियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश एवं प्रकिया को पृथक से पत्र के माध्यम से निर्गत कर दिया जायेगा।

भवदीया,

15/10/24

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: 150 / एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / डैप–एच0आर0 / स्था0 / 2024–25 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि मानव सम्पदा पोर्टल पर पारस्परिक पुर्ननियुक्ति मॉड्यूल तैयार किये जाने हेतु।
5. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
7. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक (विभागाध्यक्ष), एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
9. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0 को इस आशय से प्रेषित कि ऑनलाइन पारस्परिक पुर्ननियुक्ति प्रक्रिया हेतु यू0पी0टी0एस0यू0 एवं एन0आई0सी0 के सहयोग से मानव सम्पदा पोर्टल पर पारस्परिक पुर्ननियुक्ति मॉड्यूल तैयार कराना सुनिश्चित करें।
10. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, मण्डलीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0।

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक